



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092026-276479
CG-DL-E-24092026-276479

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5053]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2026/आश्विन 2, 1948

No. 5053]

NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2026/ASVINA 2, 1948

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 सितम्बर, 2026

का.आ. 5260(अ).— पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (इसमें इसके बाद उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 2 के खंड (क) के अनुसरण में भारत सरकार एतद्वारा, महाराष्ट्र राज्य में मैसर्स रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड की वांद्री तालाब आई.पी.सी टोकराले जल पाइपलाइन (व्ही.टी.डब्ल्यू.पी.एल.) परियोजना के लिए, पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में प्रयोक्ता के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 के तहत, श्री अनिल नाथूराम सावंत, उप जिलाधिकारी (सेवानिवृत्त), को सक्षम प्राधिकारी के कार्यों का निर्वहन करने के लिए प्राधिकृत करती है।

2. यह अधिसूचना इसके जारी होने की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. पीसी – 28012/4/2026- पेटकेम/ई-56877]

अनुज कुमार दहिया, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 15th September, 2026

S.O. 5260(E).— In pursuance of clause (a) of Section 2 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter called the said Act), the Government of India hereby authorizes Shri Anil Nathuram Sawant, Deputy Collector (Retired) to perform the functions of Competent Authority under the Petroleum and Minerals pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 for the proposed Vandri Lake-IPC Tokarale Water Pipeline Project (VTWPL) of M/s. Reliance Industries Limited in the state of Maharashtra.

2. This notification will be effective from the date of its issue.

[F. No. PC- 28012/4/2026-PETCHEM/E - 56877]

ANUJ KUMAR DAHIYA, Under Secy.